तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एकपक्षीय सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19-2-21 को पेश हो। [signature]	
19-2-2021	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पेशकार सरकार उपस्थित आदेश अन्तिम सुनाया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण को ख.नं. 447 में 0.97 हैक्टर ख.नं. 448 में 0.97 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कापरेन (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

वाद संख्या 76/दावा/2011
दायरा दिनांक 08/09/2011

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

1 चन्दा आयु 42 वर्ष पुत्र कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 कल्याणी बाई आयु 65 वर्ष बेवा कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
3 कंचन बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
4 भुली बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
5 सुगना बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
6 केसरा पुत्र श्योराम मृतक के कायम–मुकाम वारिसान........
6/1 कन्या बाई बेवा केसरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
6/2 रामकमल आयु 45 वर्ष पुत्र केसरा मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

.........वादीगण

बनाम

1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

.........प्रतिवादी

<u>वाद पत्र धारा 88,89,188, RTA</u>

निर्णय दिनांक 19.02.2021

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद पेश किया और कथन किया कि ख. न. 447 रकबा 1.25 हेक्टेयर, ख.न. [illegible] हेक्टेयर वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड [illegible] सिवायचक कृषि भूमि दर्ज है। वादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कस्तुरा व वादी सं. 6 श्योराम का वारिस है। कस्तुरा की मृत्यु दिनांक 09.08.02 को [illegible] चुकी है। वादीगण के पूर्व खातेदार के खाते में कुल 38 बीघा कृषि भूमि थी बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पूर्वजों के खाते में कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर दर्ज किया गया जो पुराने रकबे से 2.16 हैक्टेयर कम है। वादीगण द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 23.03.2000 को पारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में शुद्वि करने के लिए वर्तमान सिवायचक ख.न. 447 रकबा 0.97 हैक्टेयर, ख.न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर कृषि भूमि को पूर्व खातेदारो के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन उक्त इन्द्राज आज तक राजस्व रिकार्ड में नही किया गया और अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी ने जवाब पेश कर कथन किया गया कि ख.न. 447 रकबा 0.97 हैक्टेयर,खसरा न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक है। इस कारण वादीगण को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

उभयपक्षों के अभिवचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई और वादीगण द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य एंव मौखिक साक्ष्य में PW1 चन्दा का साक्ष्य शपथ पत्र, रजि0 नोटिस प्रदर्श 1, रसीद प्रदर्श 2 व 3, धारा 91 LR Act का नोटिस प्रदर्श 4 व 5, तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श 6, खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत् 2041–2060 प्रदर्श 9, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10व 11, नोटिस का पावती प्रदर्श 12,13 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 14, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 15, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श 16,नकल निर्णय दिनांक 23.03.2000 प्रदर्श 17, सत्यापित प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट,प्रदर्श 18, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2068 प्रदर्श 19, जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श 20, पेश कर प्रदर्शित करायें गये, गवाह PW2 रामलाल PW3 रामनारायण गुर्जर PW4 राधेश्याम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस अन्तिम सुनी गई वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि बन्दोबस्त विभाग

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का अधिकार नही है। वादीगण के पूर्वजों के खाते में कुल 38 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा 38 बीघा के स्थान पर 4.21 हैक्टेयर खाते में दर्ज की गई,जो 38 बीघा से कम भूमि है यानि 2.16 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया और कथन किया कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032—2035 में ख.न. 671 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा वादीगण के पूर्वजो के खाते में दर्ज चला आ रहा था, जिसके नवीन ख.न. 447 व 448 बने है जो वक्त सेटलमेंट राजकीय कर्मचारियों ने सिवायचक दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act में उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 23.03.2000 को निर्णय पारित करते हुए ख.न. 447 रकबा 0.97 हैक्टेयर, ख.न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर को वादीगण के पूर्वजों के खाते दर्ज करने को आदेश पारित किया गया,वह आदेश आज तक प्रभावशील है। अन्त में प्रार्थना की गई की वादीगण का वाद—पत्र डिक्री किया जावें।

पेरोकार सरकार ने वादीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि ख.न. 447 रकबा 0.97 हैक्टेयर एवं ख.न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर सिवायचक कृषि भूमियॉ है। जिनपर वादीगण को खातेदार कृषक कानूनन घोषित नही किया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1 <u>तनकी नम्बर</u> 1 :— आया वाद—पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी में से बन्दोबस्त विभाग द्वारा 2.16 हैक्टेयर भूमि कम की गई।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो जमाबन्दी सम्वत् 2032—2035 प्रदर्श 8 में वादीगण के पूर्वजो के खाते में कुल 38 बीघा कृषि भूमि बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज थी। जबकि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2041—2060 प्रदर्श 9 में वादीगण के पूर्वजों के खाते में बन्दोबस्त विभाग द्वारा 4.21 हैक्टेयर कृषि भूमि खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

में दर्ज की गई जो 38 बीघा से कम भूमि है। यानि कि 2.16 हैक्टेयर कृषि भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण के पूर्वजों के खाते में कम कर दी गई। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श 20 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ख.न. 671 रकबा 14बीघा 11 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों के खातें में दर्ज है,जिसके सेटलमेंट पश्चात नवीन खसरा न. 447 एव 448 बने है इस बाबत प्रतिवादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में पेश नही किया और न ही साबित किया गया,इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2 तनकी न0 2 :– आया वादीगण को अधिकार है कि वह ख.न. 447 में से 0.97 हैक्टेयर एवं ख.न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर पर अधिकार प्राप्त करे। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी की रोशनी में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा पारित आदेश प्रदर्श 17 का अवलोकन किया गया इस आदेश में ख.न. 447 रकबा 0.97 हैक्टेयर एवं ख.न. 448 रकबा 0.97 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों के खाते में अमल करके राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निर्देश प्रतिवादी को दिया गया था यह कार्यवाही धारा 136 एल आर एक्ट के तहत भूमि धारी द्वारा पेश की गई थी, जिससे प्रतिवादी उक्त निर्णय व प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रदर्श 18 एल आर एक्ट से पूर्णतया प्रतिबंधित है। उक्त निर्णय आज तक प्रभावशील है। पत्रावली पर ऐसा निर्णय प्रतिवादी द्वारा पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि उक्त निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया हो। इस आराजी पर वादीगण का कब्जा होने बाबत प्रतिवादी अपने जवाब दावें में स्वीकार करता है तथा केवल यह कथन करता है कि धारा 91 आर एल एक्ट के तहत कार्यवाही पेश कर अग्रिम कार्यवाही पेश की गई इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय की जाती है।

3 तनकी न0 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है तनकी न0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने के कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

तनकी न0 4 :— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है इस तनकी को साबित करने बाबत प्रतिवादी द्वारा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया इस कारण यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वजों के खाते में 38 बीघा कृषि भूमि थी एवं बन्दोबस्त विभाग द्वारा 4.21 हैक्टेयर वादीगण के खाते में दर्ज की गई, जो 2.16 हैक्टेयर कम है पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032—2035 प्रदर्श 20 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ख.न. 671 रकबा 14बीघा 11 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों के खातें में दर्ज है, जिसके सेटलमेंट पश्चात नवीन खसरा न. 447 एव 448 बने है इस बाबत प्रतिवादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में पेश नही किया ओर न ही साबित किया गया उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2000 के अनुसार वादीगण के खाते में ख.न. 447 रकबा 0.97, ख.न.448 रकबा 0.97 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज किए जाने का किया गया है। जो आज तक प्रभावशील है, इस कारण वादीगण को ख.न. 447 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.97 हैक्टेयर एवं खसरा न. 448 रकबा 1.18 हैक्टेयर में से 0.97 हैक्टेयर वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है किवह ख.न. 447 एवं 448 बाबत् धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही वादीगण के विरूद्व नही करे और न ही निर्णय पारित कर फसल कुर्की का आदेश करे। ऐसा न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

आज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम.............लाखेरी ....
व इजलास..........प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)..
(1)चन्दा पुत्र कस्तुरा जाति मीणा निवासी..............................बनाम (2)राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़
.........तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह....(पुस्त पर) ..... जिला बून्दी (राज0)...................................
.... (वादीगण) प्रतिवादी

दावा बाबत...........88,89,188 आर टी एक्ट ....

मुकदमा नम्बर.............76/दावा/2011...सन.............................
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........हमरे...व हाजिरी

..श्री बालकिशन रायका एडवोकेट..मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......................................
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि ....वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि ख.न. 447 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.97 हैक्टेयर एवं ख. न. 443 रकबा 1.18 हैक्टेयर मे से 0.97 हैक्टेयर किता 2 योग रकबा 1.94 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ख.न. 447,448 बाबत् धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही वादीगण के विरूद्व नही करे। और न ही निर्णय पारित कर फसल कुर्की का आदेश करे। ऐसा न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावें। ....
निज..मुबलिग...बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...19 माह ..02.. सन.....2021.
.............को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॅन		
5.खर्चा गवाहॅन			5.[illegible]		
6.फीस कामेश्नर			6.[illegible] हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का जाई ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2 कल्याणी बाई आयु 65 वर्ष बेवा कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 कंचन बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

4 भुली बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

5 सुगना बाई पुत्री स्व कस्तुरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

6 केसरा पुत्र श्योराम मृतक के कायम–मुकाम वारिसान........

6/1 कन्या बाई बेवा केसरा जाति मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

6/2 रामकमल आयु 45 वर्ष पुत्र केसरा मीणा निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

.........वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner